



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082025-265829
CG-DL-E-30082025-265829

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]
No. 235]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

फा. सं. ई-11012/08/2025-रा.भा.—भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की पिछली हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल दिनांक 13.03.2025 को समाप्त होने तथा 18वीं लोकसभा के गठन के उपरान्त दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन तथा उसके कार्य निम्नानुसार होंगे :-

1.	माननीय संचार मंत्री	अध्यक्ष
2.	माननीय संचार राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य		
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित		
1.	डॉ. रवीन्द्र नारायण बेहेरा संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
2.	श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
3.	श्री नारायण कोरागप्पा संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य

4.	श्रीमती संगीता यादव संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित		
5.	श्री हरिभाई पटेल संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
6.	श्री शंकर लालवानी संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित		
7.	डॉ. श्याम सुंदर कथूरिया	सदस्य
विश्व हिंदी परिषद द्वारा नामित		
8.	प्रो. सुधीर प्रताप सिंह	सदस्य
राजभाषा विभाग द्वारा नामित		
9.	प्रो. पंकज चौधरी, नई दिल्ली	सदस्य
10.	डॉ. राधाकृष्ण, कासगंज, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11.	श्री नारायण दास मावतवाल, भुवनेश्वर	सदस्य
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा नामित		
12.	श्री उमेश सिंह, ग्वालियर	सदस्य
13.	श्री राजेन्द्र ठाकुर, होशंगाबाद (नर्मदापुरम)	सदस्य
14.	श्री मनोज मनु, नोएडा	सदस्य
15.	श्री विनोद कुमार शर्मा, ग्वालियर	सदस्य
सरकारी सदस्य		
गृह मंत्रालय		
16.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
17.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय		
18.	सचिव, दूरसंचार विभाग	सदस्य
19.	सदस्य (सेवा), दूरसंचार विभाग	सदस्य
20.	सदस्य (वित्त), दूरसंचार विभाग	सदस्य
21.	सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार विभाग	सदस्य
22.	विशेष सचिव/अपर सचिव, दूरसंचार विभाग	सदस्य
23.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
24.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, नई दिल्ली	सदस्य
25.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड, बेंगलुरु	सदस्य
26.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
27.	वरिष्ठ उप महानिदेशक, राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र, बेंगलुरु	सदस्य
28.	महानिदेशक, राष्ट्रीय संचार अकादमी - वित्त, नई दिल्ली	सदस्य
29.	महानिदेशक, राष्ट्रीय दूरसंचार अकादमी - टी, नई दिल्ली	सदस्य
30.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
31.	वरिष्ठ उप महानिदेशक, दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र, नई दिल्ली	सदस्य

32.	अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
33.	निदेशक, बेतार अनुश्रवण संघटन, नई दिल्ली	सदस्य
34.	दूरसंचार महानिदेशक, नई दिल्ली	सदस्य
35.	प्रशासक, डिजिटल भारत निधि, नई दिल्ली	सदस्य
36.	महानियंत्रक संचार लेखा, नई दिल्ली	सदस्य
37.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
38.	निदेशक, राष्ट्रीय संचार अकादमी – डब्ल्यू, नई दिल्ली	सदस्य
39.	रजिस्ट्रार, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
40.	उप महानिदेशक (समन्वय एवं प्रशासन), दूरसंचार विभाग	सदस्य-सचिव

2. समिति का कार्य

इस समिति का कार्य भारत के संविधान में राजभाषा के संबंध में किए गए प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन तथा दूरसंचार विभाग और उसके अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त और सांविधिक निकायों/प्रशिक्षण संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है।

3. समिति का कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख अर्थात् इस संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष तक रहेगा बशर्ते कि :-

- (क) जो संसद सदस्य, समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे।
- (ग) यदि समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने अथवा किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य समिति के कार्यकाल में से शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।
- (घ) विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, तथापि समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 03 फरवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अतः यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है :-

- (क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
- (ख) समिति में अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/04/86-रा.भा. (क-2) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों एवं समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसदीय राजभाषा समिति, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुनील कुमार रंजन, उप महानिदेशक (समन्वय एवं प्रशासन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

RESOLUTION

New Delhi, the 29th August, 2025

F. No. E-11012/08/2025-OL.— Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications after the expiry of the term of the previous Samiti on 13.03.2025 and constitution of the 18th Lok Sabha. The composition and functions of the Samiti will be as follows:

1.	Hon'ble Minister of Communications	Chairman
2.	Hon'ble Minister of State for Communications	Vice-Chairman
NON-OFFICIAL MEMERS		
Nominated by Ministry of Parliament Affairs		
1.	Dr. Rabindra Narayan Behera Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
2.	Shri Bhausahab Rajaram Wakchaure Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
3.	Shri Narayana Koragappa Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
4.	Smt. Sangeeta Yadav Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
Nominated by Committee of Parliament on Official Language		
5.	Shri Haribhai Patel Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
6.	Lalwani, Shri Shankar Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad		
7.	Dr. Shyam Sundar Kathuria	Member
Nominated by Vishwa Hindi Parishad		
8.	Prof. Sudhir Pratap Singh	Member
Nominated by Department of Official Language		
9.	Prof. Pankaj Choudhary, New Delhi	Member
10.	Dr. Radha Krishan, Kasganj, Uttar Pradesh	Member
11.	Shri Narayan Das Mawatwal, Bhubaneswar	Member
Nominated by Department of Telecommunications, Ministry of Communications		
12.	Shri Umesh Singh, Gwalior	Member
13.	Shri Rajendra Thakur, Hoshangabad (Narmadapuram)	Member
14.	Mr. Manoj Manu, Noida	Member
15.	Shri Vinod Kumar Sharma, Gwalior	Member

OFFICIAL MEMEBERS		
Ministry of Home Affairs		
16.	Secretary, Department of Official Language	Member
17.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
Department of Telecommunications, Ministry of Communications		
18.	Secretary, Department of Telecommunications	Member
19.	Member (Service), Department of Telecommunications	Member
20.	Member (Finance), Department of Telecommunications	Member
21.	Member (Technology), Department of Telecommunications	Member
22.	Special Secretary/Additional Secretary, Department of Telecommunications	Member
23.	Chairman and Managing Director, Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi	Member
24.	Chief Executive Officer, Centre for Development of Telematics, New Delhi	Member
25.	Chairman & Managing Director, ITI Limited, Bengaluru	Member
26.	Chairman and Managing Director, Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi	Member
27.	Senior Deputy Director General, National Centre for Communications Security, Bengaluru	Member
28.	Director General, National Communication Academy - Finance, New Delhi	Member
29.	Director General, National Communication Academy - T, New Delhi	Member
30.	Chairman & Managing Director, Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi	Member
31.	Senior Deputy Director General, Telecommunication Engineering Centre, New Delhi	Member
32.	Chairman, Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi	Member
33.	Director, Wireless Monitoring Organization, New Delhi	Member
34.	Director General, Telecommunications, New Delhi	Member
35.	Administrator, Digital Bharat Nidhi, New Delhi	Member
36.	Controllor General of Communication Accounts, New Delhi	Member
37.	Chairman & Managing Director, Bharat Broadband Network Limited, New Delhi	Member
38.	Director, National Communication Academy - W, New Delhi	Member
39.	Registrar, Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, New Delhi	Member
40.	Deputy Director General (Coordination & Administration), Department of Telecommunications	Member Secretary

2 FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

Functions of the Samiti will be to render advice to the Government in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution, Official Languages Act and Rules framed thereunder, decisions of the Kendriya Hindi Samiti, implementation of the instructions issued by the Department of Official Language and give advice to progressive use of Hindi in the Department of Telecommunications and its Subordinates and Attached Offices/Autonomous and Statutory Bodies/Training Institutes/Public Sector Undertakings.

3. TENURE OF THE SAMITI

The tenure of the Samiti shall be three years from the date of its constitution i.e. from the date of issue of this resolution, provided that:-

- A member, who is a Member of Parliament, ceases to be member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.
- Ex-officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

- (c) If a vacancy arises in the samiti due to resignation or death of a member, the member appointed in that capacity shall hold the office for residual term.
- (d) Under special circumstances, the tenure of the Samiti can be curtailed or extended.

4. GENERAL

Headquarter of the Samiti will be in New Delhi, but the Samiti can convene its meetings at any other place other than Delhi, if necessary.

5. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, vide their O.M. No. 11/20034/04/2005-OL(Policy-2) dated 3rd February, 2006 has stated that as the 15 non official members include 06 Members of Parliament, nominated in the Hindi Salahakar Samiti, constituted by the Central Ministries/Departments, so the provision regarding travelling/daily allowance is made more elaborate in the following manner:-

- (a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid travelling/daily allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954, as amended from time to time and rules made thereunder.
- (b) Travelling/daily allowance to other non-official Members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language's O.M. No. 11/20034/04/86-OL (A-2) dated 22 January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Committee of Parliament of Official Language, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, NITI Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenue, Election Commission and Union Public Service Commission.

It is also ordered that a copy of this resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUNIL KUMAR RANJAN, Dy. Director General (Coordination & Administration)